

Transfer



Haryana Industrial Training Directorate,  
Headquarters: Chandigarh

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार मेहता, गणित अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। कर्मचारी को हरियाणा सिविल सेवाएं नियमावली वाल्युम-1, पार्ट-1 के नियम 7.2 के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता देय होगा। कर्मचारी का अस्थाई मुख्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर में फिक्स किया जाता है। वह प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।

दिनांक: 05.02.2015

एस0के0गोयल, आई.ए.एस.  
महानिदेशक,  
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पृ0 कमांक: टीई/141/29/प्रशासन-4/ 92

दिनांक: 5-2-2015

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:-

1. निजी सहायक/महानिदेशक।
2. सहायक निदेशक (परीक्षा)
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1) वैबसाईट पर डालने हेतू।

पंजीकृत

4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी के पत्र यादी कमांक: 290, दिनांक 28.01.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैं।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बाला शहर।
6. श्री राजेन्द्र कुमार मेहता, गणित अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी।
7. अधीक्षक (अनुशासनिक सैल) मुख्यालय पर।
8. उप-अधीक्षक (ए0सी0आर0) मुख्यालय पर।

सहायक निदेशक (प्रशासन-4)  
कृते:महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा, चण्डीगढ़।